

प्रेषक,
महेश कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 03 मार्च, 2021

विषय: कार्यदायी संस्थाओं को आपूर्तित उपखनिजों के सापेक्ष परिवहन प्रपत्रों के आनलाईन सत्यापन के उपरान्त देय राजस्व निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०शासन के पत्र संख्या-437/86-2021-52(सा०)/2019टीसी, दिनांक 02.03.2021 (संलग्नक सहित प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले उपखनिजों के परिवहन प्रपत्रों का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० के पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर विकसित e-Transit pass Verification module के माध्यम से अपने स्तर से आन लाइन सत्यापन किये जा सकने की व्यवस्था संदर्भित शासनादेशों द्वारा की गई है। प्रश्नगत सत्यापन कार्य हेतु संस्थाओं के विभागाध्यक्षों को लागिन आई डी व पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है तथा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ ईकाई/डिवीजन की लागिन आई डी जनरेट किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त परिवहन प्रपत्रों के सत्यापन उपरान्त देय राजस्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्ति की ओर है तथा सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाता है। ई-रवना सत्यापन व राजस्व जमा न किये जाने के कारण खनिज विभाग का प्राप्त होने वाला राजस्व नहीं मिल पा रहा है। अतः कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रयोग किये गये उपखनिजों के परिवहन प्रपत्रों के सत्यापन उपरान्त देय राजस्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु विचार-विमर्श के लिए अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 05.03.2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे एक बैठक आहूत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त बैठक के उपयोगार्थ सूचना/विवरण दिनांक 04.03.2021 तक उपलब्ध कराते हुए सुसंगत सूचनाओं सहित बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(महेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

जैम-मु० अभि० (मु०-1) लो० नि० वि०

जायसी संख्या 98/2021-4-23-29/
SE (IDS)/Cm/SE (IDS)

G.O. (Gen.)-07-01-2021-79

मुख्य अभियन्ता (मु०-1)
लो० नि० वि०